राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ4(ई)/अलेसे–III/एफ– चेवे 1994/1646-1651 दिनांक:– 29/4/2014

कार्यालय आदेश

श्री मदन मोहन गुप्ता की कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम नियक्ति/नियमित नियुक्ति तिथि 28.02.1996 हैं। श्री मदन मोहन गुप्ता ने 9 वर्ष की निरन्तर सेवा दिनांक 28.02.2005 को पूर्ण कर ली है, अतः श्री गुप्ता को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(2)(एफडी)(रूल्स) 98/ दिनांक 17.2.1998 के अनुसरण में दिनांक 28.02.2005 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500–175–9000) में स्वीकृत किया जाता है।

श्री मदन मोहन गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प01 (20) वित्त/ ग्रुप–2/ 92 दिनांक 23.4.1994 में दी हुई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1) (डीओपी)/ क–2/95 दिनांक 20.6.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता हैं।

श्री मदन मोहन गुप्ता के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत नौ वर्षो में से सात की उपलब्धता के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जायेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

श्री मदन मोहन गुप्ता का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 07.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जावे।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ4(ई)/अलेसे–III/एफ–चेवे 1994./1646-1651 दिनांक:– 29/4/2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सवाईमाधोपुर।
2. श्री मदनमोहन गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार, कोष कार्यालय सवाईमाधोपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी), वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
4. निजी / गार्ड फाईल।

(डा.अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

acp.doc